न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. मूर्ति श्री चारभुजा जी (शाश्वत अल्प वयस्क), मंदिर चारभुजा जी, गढ़बोर, तहसील गढ़बोर जरिये वाद मित्र धनराज आत्मज श्री वख्तावर जी पंचोली, सेवक (पुजारी) मंदिर चारभुजा, निवासी गढ़बोर (चारभुजा), तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बद्रीलाल सेवक आत्मज श्री भंवरलाल सेवक, पुजारी मंदिर, चारभुजा (गढ़बोर), तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रूपलाल सेवक आत्मज श्री गणेशलाल सेवक, पुजारी मंदिर, चारभुजा (गढ़बोर), तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. मोहनलाल सेवक आत्मज श्री लखा जी सेवक, पुजारी मंदिर, चारभुजा (गढ़बोर), तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
5. रामलाल चौहान आत्मज श्री किशनलाल जी चौहान, निवासी गढ़बोर, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मैसर्स चारभुजा शुगर वर्कस रूपाखेड़ा, प्रो. पंकज मुदन्डा पिता बालकृष्ण जी मुन्दडा, निवासी उम्मेद होस्पिटल टॉवर के पास, जोधपुर (राज.)
2. मैसर्स आनन्द श्री बिजवेन्चर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक मुदित बोहरा आत्मज श्री महेन्द्र बोहरा, निवासी कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढ़बोर (चारभुजा), तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधि.1956 विरूद्ध आदेश
क्रमांक प.12/3(13)राजस्व/70 दि.
02.02.15 जिला कलक्टर राजसमन्द

---/---

<u>उपस्थित</u> :— 1— श्री शांतिलाल पामेचा अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1, 2

3— राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 06—02—2018</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—2015 से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इकाई के एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3981/1997 में पारित निर्णय दिनांक 06—12—2012 के अनुसरण में इकाई को आराजी नंबर 4168, 4173, 4018 व 4019 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि आवंटित भूमि को निरस्तीकरण आदेश दिनांक 15—09—1997 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04—07—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 के वाद मित्र एवं अपीलान्ट संख्या 2, 3, 4 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में हुई है तथा जानकारी होने के उपरान्त उन्होंने जिला उद्योग विभाग से निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतएवं मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में वाद मित्र धनराज पंचोली का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में अपीलान्ट आवेदक द्वारा यह कहीं वर्णित नहीं किया गया है कि उन्हें निर्णय की जानकारी कब और किस प्रकार हुई। ''हाल ही'' में जानकारी होने का कथन अन्यन्त vague होकर भ्रामक है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा दिनांक 15—06—2016 को एक आवेदन माननीय गृहमंत्री राजस्थान सरकार को पेश की, जिसमें इस प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उल्लेख किया जाकर परिवाद दिया गया जो कि माननीय गृहमंत्री द्वारा दिनांक 02—11—2016 को हस्ताक्षरित किया जाकर उनके विशिष्ठ सहायक द्वारा जिला कलक्टर को उक्त अभ्यावेदन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। उक्त आवेदन पर ग्राम के अनेकानेक व्यक्तियों द्वारा, जिसमें अपीलान्ट

आवेदक भी है, हस्ताक्षर किये गये हैं, जिससे सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को इस प्रकरण की जानकारी दिनांक 15–06–2016 को आवेदन प्रस्तुत करने के समय तो हो ही चुकी थी, जबकि उसके द्वारा अपील उसके भी करीब एक वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद है तथा ऐसे प्रकरणों में जहां अपीलान्ट स्वच्छ हाथों ने नहीं आया हो तथा न्यायालय में मिथ्या एवं भ्रामक तथ्य अंकित कर शपथ पत्र दिया हो तथा वह किसी प्रकार के राहत की अपेक्षा करे तो यह विधि अनुकूल नहीं होगा। इस प्रकरण में स्पष्टया अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य देकर मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है व मिथ्या कथन कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि अनुकूल नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02–02–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर